चित्रकूट पुलिस

(1). मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

आज दिनाँक 12.11.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुम कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा (थाना सरधुवा द्वारा अर्की में,थाना पहाड़ी द्वारा कस्बा पहाड़ी में,थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में,थाना बहिलपुरवा द्वारा बहिलपुरवा स्टेशन पर,थाना रैपुरा द्वारा बस स्टैण्ड पर,थाना मऊ द्वारा कस्बा मऊ में) स्थानों पर भ्रमण कर मिशन शक्ति फेज-6 के अंतर्गत छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, संरक्षण एवं स्वावलंबन के प्रति जागरूक करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का

अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु संचालित साइबर सेल जिसके प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कुमार सिंह व उनकी टीम (आरक्षी प्रशांत कुमार,सर्वेश कुमार) द्वारा वर्ष 2026 में उल्लेखनीय कार्य किया गया है।

मुख्य उपलब्धियां एक नजर में -

1. कुल शिकायतें व निस्तारण -

इस वर्ष कुल 1515 साइबर सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त हुईं। इसमें 914 मामले वित्तीय ठगी (Online Money Fraud) तथा 601 मामले सोशल मीडिया हैरेसमेंट, अश्लील टिप्पणी, फेक प्रोफाइल व अन्य साइबर अपराधों से सम्बन्धित रहे। सभी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही की गयी।

2. ठगी की रकम होल्ड व वापसी -

914 वित्तीय ठगी के मामलों में पीड़ितों के कुल 2,21,97,256/- रुपये की ठगी हुई थी। साइबर सेल की त्वरित कार्यवाही से विभिन्न बैंकों, पेमेंट गेटवे से समन्वय कर 82,71,844/- रुपये होल्ड कराये गये। जिसमें से न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण कर 49,95,704/- रुपये पीड़ितों के खातों में सफलतापूर्वक वापस कराये जा चुके हैं।

3. अभियोग पंजीकृत -

साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध जनपद में कुल 72 अभियोग पंजीकृत किये गये, जिनमें 38 वित्तीय ठगी तथा 34 यौन शोषण सामग्री के विक्रय/प्रचार व महिला/बालिकाओं पर अभद्र टिप्पणी से सम्बन्धित हैं।

4. अपराधियों पर कार्यवाही -

पेट्रोल पम्पों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम को खपाने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 03 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा महिला सम्बन्धी साइबर अपराधों में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

साइबर अपराध में प्रयुक्त कुल 636 संदिग्ध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक हेतु प्रेषित किया गया था जिनमें से 567 मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कराया गया। तथा 463 संदिग्ध मोबाइल डिवाइसों (IMEI) को भी ब्लॉक कराया गया।

5. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग -

कानून व्यवस्था व सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली 12 आपत्तिजनक पोस्ट/वीडियो/कंटेंट को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से हटवाया गया।

6. जागरूकता अभियान -

साइबर अपराध से बचाव हेतु जनपद के लगभग 580 स्थानों - स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान, सार्वजनिक स्थल, सरकारी कार्यालयों में जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन कर 50,000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा अपील - किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर घबराएं नहीं, तुरंत 1930 पर कॉल करें या http://www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत होगी, पैसा वापस होने की संभावना उतनी अधिक होगी। गोल्डन ऑवर (पहले 2 घंटे) में सूचना देना सबसे महत्वपूर्ण है।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका गोटर देवी पत्नी चुन्नू जनपद चित्रकूट द्वारा अपने दामाद महेन्द्र सोनकर निवासी माधवगंज जनपद पन्ना के विरूद्ध अपनी पत्नी से मारपीट,गाली गलौज एवं मायके से न लिवाकर जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र टीम उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी,महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी शिवांगी,महिला आरक्षी अनामिका द्वारा शिकायतकर्ताओं की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र
2.महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह
3.महिला आरक्षी शिवांगी
4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

प्रेस नोट- चित्रकूट पुलिस
मानिकपुर पुलिस टीम ने 02 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे मय हमराह का0 मोहित कुमार यादव थाना मानिकपुर द्वारा अ0स0 139/20 धारा 147/148/149/323/504 भादवि0 के वारंटी अभियुक्त 1.काशी पुत्र रामसजीवन 2.हिम्मतलाल पुत्र राजा निवासीगण ग्राम टिकुरी थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।